सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

अपील माल प्रकरण सं0 35/09

ईशरोबाई पत्नी जसवन्तसिंह जाति रायसिख निवासी 3 सी बड़ी तहसील व जिला श्री गंगानगर।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अपीलार्थिया

बनाम

1. भागसिंह पुत्र श्री करतारसिंह जाति रायसिख निवासी मखुजीरा (पंजाब)
2. पालासिंह
3. गोविन्दसिंह
4. नारायणसिंह

पिसरान करतारसिंह अकवाम रायसिख सकनाए 1 सी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

5. नामाबाई पत्नी गुरदीपसिंह जाति रायसिख साकिन मलको तहसील मानसा जिला बुडलाडा (पंजाब)
6. चन्नोबाई पत्नी सतनामसिंह जाति रायसिख निवासी मुनख तहसील पानीपत जिला करनाज (हरियाणा)
7. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, हिन्दूमलकोट

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 11–01–13

उपस्थित :

1. श्री मोहन लाल माहर, अधिवक्ता, अपीलार्थिया
2. रेस्पोडेन्टस सं0 1 से 3 व 5 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही
3. श्री सतपालसिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं0 4
4. श्री जसराम टाक, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट सं0 6
5. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट सं0 7 स्टेट

आदेश दिनांक 22 –06–17

प्रस्तुत अपील का सार सक्षेंप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट के पिता करतारसिंह के नाम चक 1 सी बड़ी के खाता सं0 112/96 के मुरब्बा नं. 15–22–41–42 में 8.517 है0 रकबा खातेदारी था। अपीलांट के पिता का देहान्त हो चुका है जिसके अपीलार्थिया व रेस्पोडेन्ट सं0 1 से 6 कुल सात

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

विधिक उतराधिकारीगण हैं। अपीलार्थिया अपने पिता की मृत्यु के उपरांत उक्त रकबा में 1/7 हिस्से की हकदार थी लेकिन रेस्पोडेन्ट सं0 1 ता 4 द्वारा मिलीभगत करके इंतकाल अपने नाम से स्वीकृत करवा लिया है। मृतक करतारसिंह के वारिसों की जॉच नहीं की गई है। मृतक करतारसिंह के चार पुत्र एवं तीन पुत्रियाँ कुल सात विधिक उतराधिकारीगण हैं। इंतकाल तस्दीकी में कानूनी प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। अपीलार्थिया अपने ससुराल में रह रही है तथा अनपढ़ है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन इंतकाल निरस्त फरमाया जावे।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अपीलांट के पिता करतारसिंह के नाम चक 1 सी बड़ी में 8.517 है0 रकबा खातेदारी था। अपीलांट के पिता का देहान्त हो चुका है जिसके अपीलार्थिया व रेस्पोडेन्ट सं0 1 से 6 कुल सात विधिक उतराधिकारीगण हैं। अपीलार्थिया अपने पिता की मृत्यु के उपरांत उक्त रकबा में 1/7 हिस्से की हकदार थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी विधिक उतराधिकारीगण के नाम से विरासतन इंतकाल स्वीकृत नहीं किया गया है जिससे अपीलार्थिया का हित प्रभावित हुआ है। मृतक करतारसिंह के वारिसों की जॉच नहीं की गई है। इंतकाल तस्दीक करने के वक्त कानूनी प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। अपने तर्को के समर्थन में आर.आर.टी. 2002(1) वेज 257 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन इंतकाल निरस्त किया जाकर सभी विधिक वारिसान के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जावें।

रेस्पोडेन्ट सं0 4 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि पहले रेस्पोडेन्ट सं0 1 से 4 की बहिनें सहमत थी। बाद में लालच आ जाने के कारण अपील कर दी है।

रेस्पोडेन्ट सं0 6 के अधिवक्ता दौराने बहस उपस्थित नहीं हुए हैं।

अपीलाधीन इंतकाल के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थिया के पिता करतारसिंह के देहान्त के बाद विरासतन इंतकाल सं0 115/114 ग्राम 1 सी बड़ी पटवार हल्का ओड़की तहसील श्री गंगानगर भरा जाकर दिनांक 10–10–91 को स्वीकृत किया गया है। इसमें मृतक करतारसिंह के केवल चार पुत्रों रेस्पोडेन्ट सं0 1 से 4 क्रमशः भागसिंह, पालासिंह, गोविन्दसिंह एवं नारायणसिंह पिसरान करतारसिंह का बहिस्सा बराबर दर्ज किया जाकर स्वीकृत किया गया है जबकि मृतक करतारसिंह की तीन पुत्रियों क्रमशः अपीलार्थिया ईशरोबाई, रेस्पोडेन्ट सं0 5 व 6 नामाबाई एवं चन्नोबाई भी वारिस थी। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विरासतन इंतकाल में मृतक निर्वसीयती के सभी वारिसों के नाम नामान्तरणकरण दर्ज कर स्वीकृत किया जाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से पूर्व वारिसों की जॉच न कर विधिक त्रुटि की गई है। अतः ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थिया स्वीकार किये जाने योग्य है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अपीलार्थिया की अपील स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन इंतकाल सं0 115/114 वाके चक 1 सी बड़ी पटवार हल्का ओड़की, नायब तहसीलदार, हिन्दूमलकोट की स्वीकृति दिनांक 10–10–91 को गैरकानूनी रूप से स्वीकृत होने के कारण निरस्त किया जाता है। उप तहसीलदार, हिन्दूमलकोट को आदेश दिये जाते हैं कि रेस्पोडेन्ट सं0 1 से 4 के साथ संयुक्त रूप से मृतक करतारसिंह की तीन पुत्रियॉ कमशः अपीलार्थिया ईशरोबाई, रेस्पोडेन्ट सं0 5 नामोबाई एवं रेस्पोडेन्ट सं0 6 चन्नोबाई के नाम नये सिरे से विरासतन इंतकाल खोला जाकर बाद तस्दीक मृतक करतार सिंह के हिस्से की उक्त आराजी में दर्ज कर इंतकाल स्वीकृत किया जावे। तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना सुनिश्चित की जावे।

आदेश आज दिनांक 22–6–2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

22/6/17

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।